फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।

(शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

23-08-2013

शस्त्र अपील वाद संख्या–17/2010, आयुक्त न्यायालय, पटना में आवेदक **श्री देवांशु कुमार**, पिता–श्री चन्द्रिका सिंह, सा0–शंभुपुरा, पो0–तीसखाना, थाना–नौबतपुर, जिला–पटना में आयुक्त न्यायालय के द्वारा आवेदन पर पुनर्विचार करते हुए उसे निष्पादित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त आलोक में प्राप्त शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–643/2008 में सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–23.08.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे खेती करते हैं। पूर्व में उनके दो चचेरे भाईयों की हत्या अपराधियों द्वारा कर दी गयी थी। साथ ही पूर्व में एक गवाह की हत्या भी अपराधियों द्वारा कर दी गयी थी। आशंका व्यक्त की गयी कि अपराधियों द्वारा उनकी भी हत्या की जा सकती है। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1606/गो0, दिनांक–14.12.2009 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अधिनस्थ पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आलोक में अग्रसारित/अनुशंसित किया गया है। थानाध्यक्ष, नौबतपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे खेती करते हैं। पूर्व में आवेदक के दो चचेरे भाईयों की हत्या अपराधियों द्वारा कर दी गयी थी। आशंका है कि अपराधी द्वारा उनकी भी हत्या की जा सकती है। तदोपरान्त आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अनुशंसित/अग्रसारित किया गया है। साथ ही अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा भी आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अग्रसारित एवं अनुशंसित किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा

उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री देवांशु कुमार पिता–श्री चन्द्रिका सिंह, सा0–शंभुपुरा, पो0–तीसखाना, थाना–नौबतपुर, जिला–पटना को उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

23/8/07

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

23/8/07

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।